न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–राम रतन सौंकरिया, आर.ए.एस.

अपील संख्या 10/19 निर्णय दिनांकः 26–12–2019

1. साजनराम पुत्र मालाराम जाति जाट निवासी पॉचू तहसील नोखा जिला बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, कोलायत।

–रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 12–02–2018
उपखण्ड अधिकारी, कोलायत

उपस्थितिः–

1. सुश्री रोशन आरा , अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, कोलायत के आदेश दिनांक 12–02–2018 जिसके द्वारा अपीलांट् को आवंटित भूमि सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना एकतरफा तौर पर खारिज कर दी गई, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट् को दिनांक 21–02–2004 को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा 42 बीघा अनकमाण्ड भूमि का पात्र धोषित किये जाने पर चक 10 पीएसएम के मुरब्बा नम्बर 84/07 के किला नम्बर 1 ता 25 में 25 बीघा अनकमाण्ड भूमि का आवंटन किया गया। उक्त भूमि पात्रता के अनुसार 17 बीघा भूमि कम आवंटन होने पर अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष कमीपूर्ति में पात्रता के अनुसार 17 बीघा भूमि आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिस पर अदालत मातहत द्वारा दिनांक 10–11–2017 को वादग्रस्त

भूमि चक 2–3 पीडब्ल्यूएम के मुरब्बा नम्बर 40/14 के किला नम्बर 5 ता 7, 11, 13 ता 19, 20, 21, 22 ता 25 में 16 बीघा 14 बिस्वा अनकमाण्ड भूमि का आवंटन बतौर भूमिहीन किया गया था। जिसका आवंटन पट्टा भी अपीलांट के पक्ष में जारी कर दिया गया तथा मौके पर कब्जा भी प्रदान कर दिया गया। उपरोक्त भूमि के आवंटन से पूर्व अदालत मातहत द्वारा नियमानुसार रिपोर्ट प्राप्त की गई कि उक्त भूमि अन्य किसी व्यक्ति को आवंटित तो नहीं है, व आराजी जैर शुद्व रूप से आवंटन योग्य उपलब्ध भूमि है अथवा नहीं? उक्त तथ्य की भलींभांति जॉच करने के उपरान्त ही अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को वादग्रस्त भूमि का आवंटन किया गया था।

उन्होनें आगे बताया कि अदालत मातहत द्वारा अपीलांट के आवंटन की तमाम कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त किसी अन्य अजनबी व्यक्ति विनोद कंवर के प्रार्थना पत्र पर वह उक्त भूमि का मिडियम पेच आवंटन करवाना चाहता है अतः अपीलांट साजनमल को कमीपूर्ति में किया गया आवंटन निरस्त किया जावे। उक्त प्रार्थना पत्र पीठासीन अधिकारी द्वारा पृष्ठांकित भी नहीं है। उक्त प्रार्थना पत्र पर अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को सुनवाई व सबूत का कोई अवसर प्रदान किये बिना एकतरफा तौर पर अपीलांट को आवंटन को खारिज कर दिया गया। अदालत मातहत द्वारा अपनाई गई प्रकिया को किसी भी स्थिति में कानून सम्मत प्रकिया नहीं कहा जा सकता। जब अदालत मातहत के समक्ष यह तथ्य साबित थे कि उक्त भूमि अपीलांट को आवंटित भूमि है। ऐसी स्थिति में किसी अजनबी व्यक्ति के मात्र प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अपीलांट को उसके जायज अधिकारों से वंचित करना एक प्रकार से कानूनी प्रकिया का माखैल उड़ाने जैसा है। जिसकी कानूनी अनुमति प्रदान नहीं करता है। अपीलांट एक गरीब काश्तकार है जिसकी आय का एक मात्र स्त्रोत खेती ही है। अपीलांट आज भी भूमिहीन व्यक्ति है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर किया गया आदेश है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

मियांद के संबंध में विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने कथन किया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर पारित किया गया है। ऐसे एकतरफा तौर पर पारित किये गये आदेशों पर मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियांद शुमार की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 12–02–2018 के विरूद्व अपील दिनांक 15–01–2019 को प्रस्तुत की गई है। जो स्पष्ट रूप से मियांद बाहर

अपील है। अपीलांट को आवंटित भूमि पूर्व में ही मिडियम पेच आवंटन हेतु आरक्षित भूमि है। अतः उक्त आराजी अपीलांट को नहीं मिल सकती। ऐसी स्थिति में अपीलांट इस अपील के माध्यम से किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। लिहाजा अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 12–02–2018 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 15–01–2019 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट द्वारा सामान्य/भूमिहीन के तौर पर उपनिवेशन तहसील कोलायत के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर तमाम जॉच के उपरान्त आवंटन सलाहकार समिति की राय से अपीलांट को 42 बीघा अनकमाण्ड भूमि का पात्र धोषित किया गया। अपीलांट को पूर्व में पात्रता के अनुसार 25 बीघा अनकमाण्ड भूमि का आवंटन वर्ष 2004 में किया गया था। अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष पात्रता के अनुसार शेष रही 17 बीघा अनकमाण्ड भूमि के कमीपूर्ति में आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा दिनांक 10–11–2017 को वादग्रस्त भूमि चक 2–3 पीडब्ल्यूएम के मुरब्बा नम्बर 40/14 के किला नम्बर 5 ता 7, 11, 13 ता 19, 20, 21, 22 ता 25 में 16 बीघा 14 बिस्वा अनकमाण्ड भूमि का आवंटन अपीलांट के पक्ष में कर दिया गया तथा आवंटन पट्टा भी अपीलांट के पक्ष में जारी कर दिया गया।

तत्पश्चात् अदालत मातहत द्वारा एक अजनबी व्यक्ति विनोद कंवर पत्नी भारवेन्द्र सिंह के प्रार्थना पत्र पर कि वह उक्त भूमि का मिडियम पेच आवंटन करवाना चाहता है, उक्त प्रार्थना पत्र अदालत मातहत द्वारा अपीलांट के पक्ष में दिनांक 10–11–2017 को किया गया आवंटन खारिज बीकर दिया गया।

इस संबंध में हमने अपीलाधीन आदेश व पत्रावली के साथ संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रकरण में यह तथ्य निर्विवाद है कि

अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को उसकी पात्रता के अनुसार ही वादग्रस्त भूमि का आवंटन किया गया था। उक्त आवंटन से पूर्व अदालत मातहत द्वारा इस तथ्य की भलींभांति जॉच की गई थी कि क्या वादग्रस्त भूमि शुद्व रूप से आवंटन योग्य उपलब्ध भूमि है अथवा नहीं? ऐसी स्थिति में उक्त आवंटन की वैधता पर किसी प्रकार का कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। प्रकरण में जहॉ तक अदालत मातहत द्वारा विनोद कंवर पत्नी भारवेन्द्र सिंह के प्रार्थना पत्र पर अपीलांट के विधिक आवंटन को खारिज किये जाने का प्रश्न है, इस संबंध में हमारा अभिमत है कि प्रथमतः तो उक्त प्रार्थना पत्र किसी भी सक्षम अधिकारी द्वारा पृष्ठांकित नहीं है, ना ही उक्त प्रार्थना पत्र के अवलोकन से यह साबित होता है कि उक्त तथाकथित प्रार्थनां पत्र अदालत मातहत के समक्ष किस दिनांक को प्रस्तुत किया गया था। ऐसीस्थिति में अदालत मातहत द्वारा ऐसे प्रार्थना पत्र पर जिसकी वैधता स्वमेव अपने आप में प्रश्न चिन्ह उत्पन्न करती है, पर अपीलांट के विधिक आवंटन को अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना खारिज किया जाना किसी भी स्थिति में युक्तियुक्त व तर्कसंगत आदेश की परिभाषा में नहीं आता है। अदालत मातहत द्वारा अपने अधिकारों का दुरूपयोग करते हुए प्रकरण में अनावश्यक रूप से पेचिदगियॉ उत्पन्न की गई है। कानून इसकी अनुमति प्रदान नहीं करता हैं

8. अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील स्वीकार की जाती है व उपखण्ड अधिकारी कोलायत का अपीलाधीन आदेश दिनांक 12—02—2018 निरस्त किया जाकर अपीलांट का आवंटन दिनांक 10—11—2017 यथावत बहाल किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रकरण में सभी तथ्यों की जॉच करते हुए अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

9. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 26—12—2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राम रतन सोंकरिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Ratan Sonkaria
Date: 2020.01.06 17:31:15 IST
Reason: SelfAttested
Location: